

Act No. 32 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 15

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और
विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट सार्विसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और
विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 41 का संशोधन।

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय
(स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् संक्षिप्त नाम मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है।
(2) यह 16 अक्टूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय धारा 41 का (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक संशोधन। में “पच्चीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पचास वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

श्रीमद्भागवत
अध्यात्म
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला-171004.

दिनांक ३०-०५-२०१३

मैं इस विधेयक पर अनुमति देते हूँ

उमिता कुमार
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला-171002.

दिनांक २४-६-२०१३

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 15 OF 2013

**THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND
MANAGEMENT SCIENCES (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT
SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

**THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND
MANAGEMENT SCIENCES (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.

2. In section 41 of the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009, in subsection (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted. Amendment of section 41.

मैं, शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 15) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

उमीदा तिर्थ
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 15) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग भानु सह
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।